राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2164/2025

सुशीला कुमारी मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.03.2025
आदेश की दिनांक : 18.03.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश 28.07.2022 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को सीएचसी नैनवा, बूंदी से एमजी अस्पताल, जोधपुर में स्थानांतरित किया गया था और सीएमएचओ, बूंदी द्वारा जारी किए गए कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 07.02.2025 के अनुसार अपीलार्थी को स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.07.2022 के अनुसरण में कार्यमुक्त किया गया है और अपीलार्थी को स्थानांतरण के लगभग ढाई साल बाद एमजी अस्पताल, जोधपुर में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया। (अनुलग्नक–1व 2) अपीलार्थी को नर्स ग्रेड II के पद पर चयनित किया गया था तथा समय–समय पर उसका स्थानांतरण होता रहा। दिनांक 11.03.2014 के आदेश के तहत अपीलार्थी को मेडिकल कॉलेज जयपुर से नैनवा में रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने नैनवा, बूंदी में कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 21.12.2021 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के पद के नाम को सही/संशोधित किया तथा उसे महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया। (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 30.12.2021 को एक पत्र लिखा और अपीलार्थी के संबंध में मार्गदर्शन मांगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया कि अपीलार्थी कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ था, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नैनवा में नर्स ग्रेड II का कोई पद रिक्त नहीं है

और कहा कि नैनवा में ट्रोमा सेंटर नव निर्मित है और पद रिक्त हैं और अपीलार्थी को नव निर्मित ट्रॉमा सेंटर, नैनवा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति मांगी। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 25.01.2022 को एक आदेश जारी किया जिसके तहत अपीलार्थी को कोविड–19 की रोकथाम और टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सीएचसी, नैनवा में काम करने का निर्देश दिया गया था। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने आदेश दिनांक 28.07.2022 के तहत अपीलार्थी को नैनवा, बूंदी से एम.जी. अस्पताल, जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। दिनांक 28.07.2022 के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जो अधिकरण के समक्ष लंबित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 04.08. 2022 को एक आदेश जारी किया जिसके तहत अपीलार्थी को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया था और अपीलार्थी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिला अस्पताल, नैनवा के कार्यालय से नर्सिंग ऑफिसर के पद के विरुद्ध वेतन भुगतान के लिए आवेदन किया है। (अनुलग्नक–5) सीएमएचओ, बूंदी ने अपने पत्र दिनांक 31.01.2025 के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 से निर्देश मांगे थे, जिसमें दिनांक 30.12.2021 और 21.09.2022 के पत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन मांगा गया था, लेकिन वह नहीं दिया गया है और अपीलार्थी का वेतन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी से नर्सिंग अधिकारी के पद के विरुद्ध प्राप्त हो रहा है और वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी के अधिकांश पद भरे हुए हैं। और इस प्रकार अपीलकर्ता सुशीला कुमारी मीना के संबंध में मार्गदर्शन देने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थानान्तरित किया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 28.07.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 07.02.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान सीएचसी, नैनवा, बूंदी में ही निरंतर कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने दिनांक 28.07.2022 के आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को सीएचसी नैनवा, बूंदी से एमजी अस्पताल, जोधपुर में स्थानांतरित किया गया था और सीएमएचओ बूंदी द्वारा जारी दिनांक 07.02.2025 के कार्यमुक्ति आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी को एमजी अस्पताल जोधपुर में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया था। स्थानांतरण के संदर्भ में जारी आदेश दिनांक 28.07.2022 के अनुसार, प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश संख्या 532 दिनांक 17.11.2022 के तहत अपीलार्थी को सीएचसी नैनवा, बूंदी से कार्यमुक्त कर दिया, लेकिन माननीय राज्य मंत्री द्वारा 17.11.2022 को प्राप्त पत्र संख्या 2029 दिनांक 16.11.2022 के अनुसार दिए गए निर्देशों के अनुसार, अपीलार्थी को नर्सिंग अधिकारी, सीएचसी नैनवा, बूंदी के पद से कार्यमुक्त नहीं करने का

निर्णय लिया गया। (अनुलग्नक–आर–1एवं 2) अपीलार्थी का चयन नर्स ग्रेड–प्प के पद पर हुआ था तथा उसकी नियुक्ति हुई थी। अपीलार्थी को दिनांक 30.09.2021 के आदेश द्वारा रिक्त पद पर मेडिकल कॉलेज जयपुर से सीएचसी नैनवा में स्थानांतरित किया गया था। अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.07.2022 को राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी थी, लेकिन अपीलार्थी ने कोई अपील संख्या का उल्लेख नहीं किया है और न ही उक्त अपील में विद्वान अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 04.08.2023 को पत्र जारी किया न कि 04.08.2022 को, जिसके द्वारा अपीलार्थी को मौसमी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए ब्लॉक नैनवा में काम करने का निर्देश दिया गया था। सीएचसी नैनवा और सीएचसी बांसी में सभी रिक्त पद स्थानांतरण पोस्टिंग के कारण भरे जा चुके हैं, इसलिए कोई पद रिक्त नहीं है, इसलिए प्रतिवादी विभाग ने दिनांक 03.02.2025 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को सीएमएचओ बूंदी में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया तथा उसके बाद दिनांक 07.02.2025 के कार्यालय आदेश द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को एमजी अस्पताल जोधपुर में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया। सी.एम.एच.ओ. बूंदी द्वारा पारित दिनांक 07.02.2025 का आदेश न्यायोचित है, क्योंकि सी.एच.सी. नैनवा तथा सी.एच.सी. बांसी में कोई पद रिक्त नहीं है, अतः अपीलार्थी को वेतन देना संभव नहीं है, अतः दिनांक 07.02.2025 का आदेश पारित किया गया। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 28. 07.2022 के आदेश और दिनांक 07.02.2025 के रिलीविंग आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई अपील कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है, अपीलार्थी ने उसे रिलीव न करने के लिए उच्च अधिकारियों पर दबाव डाला और सिफारिश की तथा राजनीतिक समर्थन भी दिया, प्रत्यर्थी विभाग ने कई बार अपीलार्थी को रिलीव किया लेकिन कुछ सिफारिशों के बाद वर्तमान में कोई पद रिक्त न होने के कारण रिलीविंग आदेश स्थगित कर दिया गया था, इसलिए दिनांक 07.02.2025 का रिलीविंग आदेश पारित किया गया जो कानून के अनुसार है और अपीलार्थी द्वारा अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह

आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)